<u>आबंटित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरे सहित राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका</u>

<u>डीबीए-II/एनईआर अनुभाग</u>

डीबीए-II/एनईआर अनुभाग पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 तथा परिवहन राजसहायता योजना 1971 को प्रशासित करता है।

I. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007

<u>अधिसूचना:-</u> एनईआईआईपीपी, 2007 को तत्कालीन उत्तर-पूर्वी औद्योगिक नीति (एनईआईपी), 1997 में संशोधन करके 01.04.2007 को अधिसूचित किया गया था|

<u>क्रियान्वयन क्षेत्र:-</u> उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त 8 उत्तर-पूर्वी राज्य|

<u>पात्रता और अवधि:-</u> वे सभी इकाइयां और मौजूदा इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कहीं भी स्थित ऐसा औद्योगिक विस्तार करते हैं जिसका वाणिज्यिक उत्पादन एनईआईआईपी, 2007 की अधिसूचना की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के भीतर आरंभ हुआ हो|

इसमें वे उद्योग शामिल नहीं हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिमकारी माना जाता है जैसे तम्बाकू और उसके स्थानापन्न, पान मसाला, 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग, रिफाइनरी उत्पाद इत्यादि|

विनिर्माण क्षेत्र के अलावा एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत पहली बार लाभों को सेवा क्षेत्र तक विस्तारित किया गया है (अर्थात कम से कम 2 सितारा होटल, रोपवे सहित साहसिक और अवकाश खेल, न्यूनतम 25 बिस्तरों की क्षमता वाले नर्सिंग होम, वृद्धावस्था गृह, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे होटल प्रबंधन, खानपान और खाद्य शिल्प संस्थान, उद्यमशीलता विकास, नर्सिंग और परा-चिकित्सा, नागर विमानन संबंधित प्रशिक्षण, फैशन, डिज़ाइन और औद्योगिक प्रशिक्षण, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और 10 मे.वा. तक विद्युत उत्पादन करने वाले उद्योग)

<u>राजसहायता योजना:-</u> एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत राजसहायता योजनाएं और उनकी विशेषताएं तथा निष्पादन निम्नानुसार है:

1. **<u>केन्द्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना:-</u>**

   इस योजना में बिना किसी ऊपरी सीमा के संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के 30% की दर से पूंजीगत निवेश राजसहायता का प्रावधान है| राजसहायता के स्वत: अनुमोदन की सीमा 1.60 करोड़ रुपये है; शक्तिप्राप्त समिति के अनुमोदन से 1.50 करोड़ रु. से 30 करोड़ रु. तक और केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन से 30 करोड़ रु. से अधिक है|

2. <u>केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना</u> :-

इस योजना में किसी औद्योगिक इकाई द्वारा लिए गए कार्शील पूंजी ऋण पर 3% की दर से ब्याज राजसहायता का प्रावधान है| यह ऋण वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने की तारीख से अधिकतम 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है|

3. <u>केन्द्रीय व्यापक बीमा राजसहायता योजना :-</u>

इस योजना में किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रदत्त बीमा प्रीमियमकी 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान है|

<u>अन्य प्रोत्साहन और छूटें :-</u>

- राजस्व विभाग द्वारा विर्दिष्ट "योगित मूल्य" मानदंडों के आधार पर उत्पाद कर से छूट;

- आयकर से 100% छूट|

<u>समन्वयन और निगरानी:-</u> एनईआईआईपीपी, 2007 के समुचित समन्वयन और उसकी निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति और निगरानी समिति सहित सलाहकार समिति जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया गया है|

<u>नोडल एजेंसी:-</u> पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी एनईआईआईपीपी, 2007 की विभिन्न राजसहायता योजनाओं के अंतर्गत राजसहायताओं के विरण हेतु नामोद्दिष्ट एजेंसी है|

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में एनईआईआईपीपी 2007 की 3 राजसहायता योजनाओं के अंतर्गत 150 करोड़ रु. का प्रावधान है| वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान योजनओं के अंतर्गत निर्मुक्त राशि निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना/योजनाएं	निर्मुक्त राशि
1.	पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना	86.13
2.	ब्याज राजसहायता योजना	13.7
3.	व्यापक बीमा योजना	शून्य

II. परिवहन राजसहायता योजना, 1971/ माल-भाड़ा राजसहायता योजना, 2013

<u>उद्देश्य:-</u> पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए|

<u>आरंभ होने की तारीख:-</u> 27.7.1971

<u>प्रयोजनीयता:-</u> यह योजना सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होती है (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन इकाइयों, शोधन कारखानों और बागानों को छोड़ कर चाहे उनका आकार कुछ भी हो|)

<u>क्रियान्वयन क्षेत्र:-</u> (i) उत्तर-पूर्व के 8 राज्य (ii) हिमाचल प्रदेश (iii) उत्तराखंड (iv) जम्मू और कश्मीर (v) पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला (vi) अंडमान और निकोबार प्रशासन (vii) लक्षद्वीप प्रशासन|

<u>योजना की वैधता:-</u> इस योजना का विस्तार समय-समय पर किया गया है, अंतिम विस्तार दिनांक 26.2.2009 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 31.3.2008 के बाद से इस योजना के अंतर्गत यदि कोई संभावित रिसाव और दुरुपयोग हो तो उसको रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षोपाय करने के दृष्टिकोण से इस योजना की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक किया गया था| तदनुसार इस योजना का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी नामत: मैसर्स डिलॉयट टच टोहमात्सू इंडिया (प्रा.) लि. द्वारा किया गया जिसने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह बात कही गई कि परिवहन राजसहायता योजना राज्य में बाहरी उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम से लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास उत्प्रेरित करने में सक्षम रही है| मैसर्स डिलॉयट की रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर सीसीईए के सम्मुख "परिवहन राजसहायता योजना का संशोधन" पर एक नोट प्रस्तुत किया गया, जिसने 22.1.13 को आयोजित अपनी बैठक में इस नोट पर विचार किया| तदनुसार, मौजूदा टीएसएस को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर "माल-भाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस)-2013" प्रतिस्थापित की गई है जिसे 23.1.2013 को अधिसूचित किया गया है| इस योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) 'विनिर्माण गतिविधि' की परिभाषा संघीय बजट 2009-10 से अंगीकृत;
(ii) फ्लाइ ऐश के परिवहन पर राजसहायता अनुमत्य नहीं है;
(iii) इसमें समापक खंड रखा गया है ताकि यह योजना अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष के उपरांत समाप्त हो जाए;
(iv) राजसहायता में एमएसएमई को 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि का प्रावधान है;
(v) बागान, परिशोधन कारखाने, विद्युत उत्पादन इकाइयां, कोक (कैल्सनीकृत पैट्रोलियम कोक सहित) उद्योग और तम्बाकू तथा विनिर्मित तम्बाकू स्थानापन्नों, पान मसाला और 20 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरी बैगों का उत्पादन करने वाली इकाइयां|

प्रकृति और परिमाण:- इकाई और नामोद्दिष्ट रेल-हेड स्थल से कच्चे माल और तैयार माल की आवा-जाही हेतु परिवहन लागत पर राजसहायता| पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजसहायता 90% है| हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिलों के लिए यह परिवहन लागत की 75% है| हालांकि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के भीतर माल की आवा-जाही के लिए राजसहायता तैयार माल पर 50% और कच्चे माल पर 90% है| माल की अंतर्राज्यिक आवा-जाही के के लिए कोई राजसहायता उपलब्ध नहीं है|

पात्रता की अवधि:- इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से 5 वर्ष|

नोडल एजेंसी:- राज्यों में पात्र इकाइयों को राजसहायता का संवितरण निम्नलिखित नोडल एजेंसियों द्वारा किया जाता है:

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी
(ii) जम्मू और कश्मीर के लिए जेकेडीएफसी
(iii) हिमाचल प्रदेश के लिए एचपीएसआईडीसी
(iv) उत्तराखंड के लिए एसआईडीयूसीएल
(v) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन|

योजना के अंतर्गत निर्मुक्तियां:- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना के अंतर्गत 220 करोड़ रु. का प्रावधान है| वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 222.73 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई है|

.....

विशेष पैकेज खंड: विशेष पैकेज अनुभाग द्वारा जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेजों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2002-03 में सरकार ने जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के तीन पैकेजों की घोषणा की। जम्मू व कश्मीर के लिए पैकेज 14.06.2002 को जारी किया गया तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए 07.01.2003 को जारी किया गया।

उपर्युक्त पैकेज उनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे तथा ये नई इकाईयों तथा मौजूदा इकाईयों पर उनके वास्तविक विस्तार पर 10 वर्षों की अवधि तक लागू होंगे।

जम्मू व कश्मीर पैकेज में अभिकल्पित आर्थिक प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ-साथ 10 वर्षों तक आयकर तथा उत्पाद शुल्क से 100 प्रतिशत छूट, 30 लाख रूपए तक

की अधिकतम सीमा तक संयंत्र तथा मशीनरी के निवेश के 15 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना शामिल है। चालू पंजीगत ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता; पूंजीगत निवेश पर 100 प्रतिशत की सीमा तक बीमा किस्त इत्यादि।

हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड पैकेजों में अभिकल्पित आर्थिक पैकेजों में अन्य बातों के साथ 10 वर्षों की अवधि तक आयकर एवं उत्पाद कर से 100 प्रतिशत छूट शामिल है। 30.00 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश के लिए 15 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय निवेश राजसहायता शामिल है।

राजसहायता संबंधित राज्यों अर्थात जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में नामोद्दिष्ट एजेन्सियों के जरिए पात्र औद्योगिक इकाईयों को जारी की जाती है। 2002-2003 से 2007-2008 तक जारी राशि जम्मू कश्मीर के लिए 82.79 करोड़ रूपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 56.30 करोड़ रूपए तथा उत्तराखंड के लिए 39.84 करोड़ रूपए है, चालू वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए 50.00 करोड़ रूपए का प्रावधान है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को क्रमश: 15.00 करोड़ रूपए और 10.00 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

औद्योगिक पार्क स्कीम औद्योगिक पार्कों, औद्योगिक मॉडल टाउन/वृद्धि केन्द्रों, जिनमें केन्द्रीय रूप से उच्च गुणवत्ता युक्त अवसंरचना मुहैय्या करवाई जाती है, के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने मार्च 30, 1999 में औद्योगिक पार्क स्कीम अधिसूचित की और 1 अप्रैल, 2002 को इसे संशोधित किया। जिन परियोजनाओं ने 1.4.1997 और 31 मार्च 2006 के बीच अपने कार्यकलाप शुरू किए उन्हें औद्योगिक पार्क स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया।

आयकर 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं द्वारा कार्यकलाप शुरू करने वाले वर्ष से शुरू करके पंद्रह वर्षों में से किन्हीं भी लगातार दस वर्षों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त उपक्रमों हेतु आयकर छूट उपलब्ध है।

अब तक योजना की शुरूआत के बाद से योजना के अंतर्गत 273 अनुमोदन (42 प्रत्याहार सहित) दिए जा चुके हैं। अनुमोदित अद्यतन परियोजनाओं में करीब 16449.74 करोड़ रूपए अनुमानित निवेश है। इस राशि में से परियोजनाओं में अवसंरचना के विकास पर 14,425.41 करोड़ रूपए अनुमानित निवेश है। इस प्रकार कुल निवेश का करीब 88 प्रतिशत अवसंरचना के विकास पर है।

<u>विशेष श्रेणी के राज्यों-जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए पैकेज</u>

जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड जैसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की 14.06.2002 को (जम्मू व कश्मीर

के लिए) तथा 07.01.2003 (अन्य दो राज्यों के लिए) घोषणा की गई जिससे कि इन योजनाओं की शुरूआत के बाद से उनके कार्यकलापों के वास्तविक प्रसार पर नई औद्योगिक इकाईयों तथा मौजूदा औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन दिए जा सके। **यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है तथा योजनाओं के राज्यवार प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:-**

जम्मू व कश्मीर

(i) **केन्द्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना**: 14.06.2012 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए 30 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन संयंत्र तथा मशीनरी के निवेश की 15 प्रतिशत की दर पर;

(ii) **केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना:** 14.06.2012 तक 10 वर्षों की अवधि तक चालू पूंजीगत ऋण पर 3 प्रतिशत की दर पर;

(iii) **केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना:** 14.06.2012 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए पूंजीगत निवेश पर 100 प्रतिशत;

(iv) **परिवहन राजसहायता:** उत्पादन के शुरू होने से 5 वर्षों की अवधि तक नामोद्दिष्ट रेल शीर्षों को तथा वहां से कच्ची सामग्री एवं तैयार उत्पादों के ढुलाई की लागत का 50-90 प्रतिशत;

(v) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट:** 10 वर्षों की अवधि तक सेनवैट लाभ के साथ 100 प्रतिशत की छूट;

(vi) **आयकर में छूट:** 31.3.2012 तक 10 वर्षों की अवधि तक नई औद्योगिक इकाईयों के लिए 100 प्रतिशत छूट

<u>हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड</u>

(i) **केन्द्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना**: 07.01.2013 तक 10 वर्षों की अवधि तक 30 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन संयंत्र एवं मशीनरी के निवेश की 15 प्रतिशत की दर पर;

(ii) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट:** 31.03.2010 को या इससे पूर्व इन राज्यों में स्थापित या विस्तारित औद्योगिक इकाईयों के पूर्णतया आधार पर 100 प्रतिशत की छूट (सनसेट खंड के रूप में शामिल); तथा

(iii) **आय कर से छूट:** 5 वर्षों की अवधि तक नई तथा मौजूदा इकाईयों के लिए 100 प्रतिशत छूट तथा तत्पश्चात अगले पांच वर्षों के लिए कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत की दर से तथा कंपनियों से अन्यत्र के अगले 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत की छूट।

<u>क्रियान्वयन एजेन्सियां</u>

जम्मू व कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी) जम्मू व कश्मीर राज्य में पात्र औद्योगिक इकाईयों को राजसहायता का संवितरण मार्गीकृत करने के लिए नोडल

एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एचपीएसआईडीसी) तथा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (एसआईडीसीयूएल) क्रमश: हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में राजसहायता के संवितरण को मार्गीकृत करने के लिए नोडल एजेन्सियां हैं।

योजनाओं की शुरूआत से अब तक औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न है।

****